न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी, कविता गोदारा, आर0ए0एस0

पत्रावली दावा संख्या : 75/2024

उनवान— कालूराम

बनाम

अशोक आदि

प्रार्थना—पत्र अं0 आदेश 22 नियम 3 व धारा 151 सीपीसी।

:: आदेश ::

दिनांक :— 23.12.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना—पत्र अं0 आदेश 22 नियम 3 व धारा 151 सीपीसी हेतु पेश हुई। प्रार्थी सागरमल द्वारा प्रार्थना—पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी कालूराम पुत्र सुरजाराम का देहान्त हो चुका है, जिसके कायम मुकाम विधिक वारिस मद सं0 1 अनुसार है। प्रति0सं0 8 लक्ष्मी पत्नी मोहनलाल की मृत्यु हो चुकी है, जिसका नाम हजब करने का आवेदन पूर्व में पेश किया जा चुका है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद की जानकारी उसके वारिसान को पूर्व में नहीं थी। वादी के अधिवक्ता द्वारा कई तारीख पेशियां निकलने पर अधिवक्ता द्वारा फोन करने पर उक्त वाद की जानकारी जिस पर अविलम्ब कायम का आवेदन पेश किया जा रहा है, जानकारी में हुआ विलम्ब क्षम्य किया जाना प्रार्थनीय है। जिसके लिए अलग से आवेदन अं0 धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया जा रहा है। वादी कालूराम के उपरोक्त वारिसान के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है। प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र पेश कर वादी वारिसान के विधिक कायम मुकाम वारिस को रिकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी/प्रति0सं0 1, 2, 3, 4 व 10 की ओर से जवाब आवेदन पेशकर निवेदन किया गया है कि मद सं0 1 में वादी कालूराम पुत्र सुरजाराम का देहान्त हो जाने का कथन अंकित कर विधिक वारिसान का उल्लेख किया गया है। वादी कालूराम का देहान्त दिनांक 14.12.2024 को हो चुका है, जिसके कारण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन मियाद बाहर है। मद सं0 2 में प्रति0सं0 8 लक्ष्मी देवी का देहान्त होने व उसका नाम हजब करने का आवेदन प्रस्तुत करने का कथन अंकित किया गया है, जिसके संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र को खारिज किये जाने का आदेश करने का आवेदन पत्रावली पर पूर्व में प्रस्तुत कर रखा है। मद सं0 3 जिस प्रकार से तहरीर है, गलत होने से अस्वीकार है। वादी की मृत्यु 14.12.2024 को होने के उपरान्त प्रतिवादीगण द्वारा प्रति0सं0 8 की मृत्यु वाद प्रस्तुती से पूर्व हो जाने के आधार पर दिनांक 05.05.2025 को एक आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद दिनांक 18.09.2025 को वादी केद्वारा प्रति0सं0 8 का नाम हजब करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिससे यह प्रमाणित है कि वादी के वारिसान/प्रार्थीगण

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

अधिवक्ता से लगातार संपर्क में थे। इस कारण वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन मियाद बाहर है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार किसी मृत व्यक्ति के विधिक वारिसन को रिकॉर्ड पर लाने के लिए कायम मुकाम का आवेदन 90 दिवस में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। 90 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद वाद पत्र स्वतः ही अबैट हो जाता है। उपरोक्त आवेदन पत्र के अबेट होने के उपरान्त प्रस्तुत किया गया है तथा अबेट को स्थगित करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस कारण भी आवेदन पत्र को खारिज कियाजाकर वादपत्र को इसी स्टेज पर खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। मद सं0 4 जिस प्रकार से तहरीर की गई है, जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। मद सं0 5 कानूनी है। जवाब आवेदन पत्र पेश कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन मियाद बाहर होने के कारण खारिज किया जाकर वाद पत्र को इसी स्टेज पर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।

बहस के दौरान वकील प्रार्थी/वादी द्वारा निवेदन किया गया कि कालूराम फौत हो गया। हमें जानकारी नहीं थी। वारिसों को रिकॉर्ड पर लिया जाना उचित होगा। ग्रामीण आदमी है इसलिए देरी हो गई है। जो व्यक्ति मेरे पास आता है। वह उनका रिलेटिव था। आवेदन स्वीकार करने का निवेदन है। बहस के अंत में वारिसों को रिकॉर्ड पर लिया जाने हेतु निवेदन किया गया।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी/प्रति0सं0 1, 2, 3, 4 व 10 ने निवेदन किया कि कालूराम की मृत्यु दिनांक 14.12.24 को हो गई थी। 11 माह हो चुके है। आवेदन में तारीख नहीं लिखी थी। 8 नंबर का नाम हजफ का प्रार्थना–पत्र लगाया तो आवेदन किस के द्वारा लगाया गया। दफा 5 इसलिए लगाया है कि हमें जानकारी नहीं थी। 90 दिन से उपर होने पर अबेटमेंट का प्रार्थना–पत्र लगता है, वो भी नहीं लगाया है। इस प्रकार दावा अबैट हो चुका है। बहस के दौरान न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2023 (1) पेज सं0 481 पेश की।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एंव आवेदन–पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि वादी कालूराम का देहान्त दिनांक 14.12.2024 को हो चुका है, इसके कारण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन मियाद बाहर है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रति0सं0 8 की मृत्यु वाद प्रस्तुती से पूर्व हो जाने के आधार पर दिनांक 05.05.2025 को एक आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद दिनांक 18.09.2025 को वादी के द्वारा प्रति0सं0 8 का नाम हजब करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि वादी के वारिसान/प्रार्थीगण अधिवक्ता से लगातार संपर्क में थे। इस कारण वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन मियाद बाहर है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार किसी मृत व्यक्ति के विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लाने के लिए कायम मुकाम का आवेदन 90 दिवस में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। 90 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद वाद पत्र स्वतः ही अबैट हो जाता है।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

उपरोक्त आवेदन पत्र के अबेट होने के उपरान्त प्रस्तुत किया गया है तथा अबेट को स्थगित करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। बहस के दौरान वकील अप्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2023 (1) पेज सं0 481 प्रकरण में चस्पा होते है। इस प्रकार प्रार्थी सागरमल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अं0 आदेश 22 नियम 3 व धारा 151 सीपीसी इस स्टेज पर स्वीकार करना न्यायालय न्यायहित में उचित नहीं समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी सागरमल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अं0 आदेश 22 नियम 3 व धारा 151 सीपीसी न्यायहित में खारिज किया जाकर वाद वादी अबैट होने से इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

(कविता गोदारा)
सहायक कलक्टर (मु0)सीकर
सहायक कलक्टर(मु.)सीकर